

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(69) ग्राविवि/इं.आ./विविध/गुप-5/2014-15 जयपुर, दिनांक 11 मार्च, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) पाली, बाडमेर, बीकानेर, जालौर,
राजसमन्द, बारां, चित्तौडगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर एवं हनुमानगढ़।


विषय :- इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015-16 के पात्र लाभार्थियों के पंजीयन के क्रम में।

प्रसंग :- अ.शा. पत्र क्रमांक एफ 27 (67)ग्रावि/गुप-5/2012-13 दिनांक 03.03.2015 व
संख्यांक पत्र दिनांक 20.01.2015.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा 01 अप्रैल, 2015 से इन्दिरा आवास योजना (वर्ष 2015-16) की क्रियान्विति शुरू किये जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना प्रेषित की गई थी। जिसके अनुसार 28 फरवरी, 2015 तक आवंटित लक्ष्यानुसार शत-प्रतिशत आवाससॉफ्ट पर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। योजनान्तर्गत कार्ययोजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने बाबत प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा भी निर्देशित किया गया है। इस क्रम में आदिनांक तक आवाससॉफ्ट के अनुसार निम्नानुसार प्रगति अर्जित की गई है जो काफी कम है।


क्र.सं.	जिला	वर्ष 2015-16 के लक्ष्य	पंजीकरण
1	पाली	5927	355
2	बाडमेर	4241	311
3	बीकानेर	3369	254
4	जालौर	3160	1095
5	राजसमन्द	1813	188
6	बारां	2574	1089
7	चित्तौडगढ़	3418	2815
8	श्रीगंगानगर	525	2
9	जयपुर	722	283
10	हनुमानगढ़	449	101
	योग	26198	6493

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षण के दौरान पंजीयन की कार्यवाही सम्पादित करावे साथ ही यदि लाभार्थियों के पास आधारकार्ड/सीबीएस आधारित बैंक खाता, नरेगा जॉब कार्ड नहीं है तो प्रशिक्षण के दौरान मौके पर ही इस बाबत बैंकर्स व सम्बन्धित के सहयोग से कैम्प का आयोजन करावे। यह समस्त कार्यवाही 20 मार्च, 2015 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करें अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपके वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला कलेक्टर पाली, बाडमेर, बीकानेर, जालौर राजसमन्द, बारां, चित्तौडगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर एवं हनुमानगढ़।


शासन सचिव (ग्रावि)